Most Urgent

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

{ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027
E-Mail ID: rajpr.dsplan@rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.4( )परावि/आप्र/GPDP/2019–20/933 जयपुर, दिनांक: 7/9/2018

1. जिला कलक्टर,
   जिला–समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद–समस्त।

विषयः–People's Plan Campaign for Participatory and Comprehensive Gram Panchayat Development Plan (GPDP)- October 2 to December 31, 2018

संदर्भः–सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक : **D.O. No. M-11015/219/2018-CB** दिनांक 31.08.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र एवं पूर्व में पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक K-14016/2/2018-PC दिनांक 13.08.2018 की पालना में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक : F 4 ( ) PRD/DP/GPDP/2019-20/896 दिनांक 20.08.2018 में जारी किये गये निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत विकास योजना "सबकी योजना सबका विकास" अभियान दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक चलाया जा रहा है। दिनांक 24.08.2018 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक : D.O. No. Secy(RD)/Misc/2018 में प्राप्त निर्देशों के अनुसार मिशन अंत्योदय के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की रैंकिंग माह–सितम्बर, 2018 में की जानी है। अभियान के दौरान संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित विभाग के अग्रिम पंक्ति (Front Line) के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने विभाग के कार्यकलापों के बारे में विशेष ग्राम सभाओं में अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे, जिनकों ग्राम पंचायत विकास योजना "सबकी योजना सबका विकास" वर्ष 2019–20 के निर्माण में स्थानीय, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार की सहभागिता से अधिक व्यापक बनाने के लिए सम्मिलित किया जायेगा।

2. इस संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त बुकलेट (जिसमें अभियान के संबंध में पूर्व में किये गये पत्राचार, पॉवर पांईट प्रजेन्टेशन, विस्तृत दिशा–निर्देश, गतिविधिवार ब्रेकअप एवं विभिन्न प्रपत्र, जो अभियान के दौरान काम में लिये जायेंगे) आपको ई–मेल द्वारा दिनांक 05.09.2018 को प्रेषित की जा चुकी है।
3. इन पत्रों के अनुसार राज्य की ग्राम पंचायतों द्वारा मिशन अंत्योदय एप का उपयोग करते हुए माह–सितम्बर, 2018 में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं एकत्रित की जावेगी। एकत्रित किये गये समंकों को वैद्यता के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में रखा जायेगा। इस संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह/पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं सहभागी ग्राम पंचायत योजना में कन्वर्जेन्स के लिए स्वयं सहायता समूहों के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) को सहजकर्ता के रूप में नामांकित किया जाना

है। जहां सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) नहीं हों, वहां ग्राम रोजगार सेवकों को सहजकर्ता के रूप में नामांकित किया जाना है।

4. सहजकर्ता, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह का सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) एवं पंचायत स्तर के लाईन विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता अभियान के दौरान अतिरिक्त रूप से MA App द्वारा सूचनाएं एकत्रित करने में सहभागी योजना की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। NIRD, हैदराबाद से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के सहयोग से प्रशिक्षित किया जायेगा।

अभियान के लिए गतिविधिवार कलेण्डर इस प्रकार है–

क्र.सं.	गतिविधि	समय
1.	ग्राम सभाओं की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करना	10 सितम्बर, 2018
2.	ग्राम पंचायतों में सहजकर्ता की नियुक्ति	10 सितम्बर, 2018
3.	सहजकर्ताओं का प्रशिक्षण	15 सितम्बर, 2018
4.	ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए पंचायत स्तर पर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को विभागों द्वारा नियुक्त करना	15 सितम्बर, 2018
5.	सार्वजनिक सूचना पट्ट पर सूचना एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा जिओ टेग के फोटोग्राफस को पोर्टल पर अपलोड करना	15 सितम्बर, 2018
6.	ग्राम सभाओं के जिओ टेग किये गये दृश्यों को अपलोड करना	ग्राम सभा की बैठक के तुरंत बाद
7.	अनुमोदित योजनाओं को प्लान प्लस पर प्रकाशित करना	31 दिसम्बर, 2018

उक्त अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करें।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
ग्रा.वि. एवं पं.रा.विभाग

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. 29 विषयों के संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, यथा–कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ऊर्जा, पेयजल, प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सतत शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वच्छता, उद्योग, सार्वजनिक निर्माण, समेकित बाल विकास सेवाएं एवं महिला अधिकारिता, वन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जल संसाधन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, तकनीकी शिक्षा (क्राफ्ट मैन), पर्यटन, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पं.रा.वि., जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ, जिला–समस्त।

प्रमुख शासन सचिव
ग्रा.वि. एवं पं.रा.विभाग